उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-3

संख्या-1/2017/804/37-3-2017-3(14)/2017

लखनऊ:: दिनांक 27 जुलाई, 2017

कार्यालय-आदेश

डा0 वी0के0 सिन्हा, तत्कालीन मुख्य तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट प्रशिक्षण), चकगंजरिया, लखनऊ के विरूद्ध पशुपालन विभाग, आजमगढ मण्डल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर चयन/भर्ती/नियुक्ति से संबंधित अभिलेखों में अवैध रूप से कूटरचना करने व हेरा-फेरी किये जाने के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने आदि अनियमितताओं के लिए कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2842/37-1-2007-3(35)/2007 दिनांक 22-05-2007 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालनार्थ कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1630/37-1-2011-03(108)/2006 दिनांक 28-04-2011 द्वारा संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा समयाभाव के कारण जॉच कराकर आख्या समयबद्व रूप से उपलब्ध नही करायी गयी। तदुपरांत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-884/37-1-2013-03(108)/2006 दिनांक 22-03-2013 द्वारा संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, लखनऊ के स्थान पर अपर निदेशक, आजमगढ मण्डल, आजमगढ को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी की जॉच आख्या उनके पत्र संख्या-915/स्था0, दिनांक 03-10-2015 द्वारा शासन को प्राप्त हुई। जॉच अधिकारी द्वारा जॉच में डा0 वी0के0 सिन्हा पर लगाये गये आरोपों को सिद्व पाया गया। अत: सिद्व पाये गये आरोपों के दृष्टिगत शासन के संख्या-3977/37-1-2015-03(35)/2007 दिनांक 02-11-2015 द्वारा डा0 सिन्हा का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 10-02-2016 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ। प्रकरण में अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व ही दिनांक 29-05-2017 को डा0 सिन्हा की मृत्यु हो गयी।

3- अत- जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, सिद्व पाये गये आरोपों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरांत डा0 सिन्हा के विरूद्व आरोप सिद्व होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु के दृष्टिगत श्री राज्यपाल डा0 वी0के0 सिन्हा, तत्कालीन मुख्य

shasanadesh.up.nic.in

तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट प्रशिक्षण), चकगंजरिया, लखनऊ के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही एतद्द्वारा बिना दण्ड के समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 804 (1)/37-3-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

3- अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, आजमगढ मण्डल, आजमगढ।

4- डा0 वी0के0 सिन्हा, तत्कालीन मुख्य तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट प्रशिक्षण), चकगंजरिया, लखनऊ, द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

5- पशुधन अनुभाग-1।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सुनील कुमार)
उप सचिव।

shasanadesh.up.nic.in